निर्देशिका

एवं

प्रवेश आवेदन–पत्र

सत्र 2018–2019

श्री जय नारायण महाविद्यालय (के0के0सी0) लखनऊ

(नैक द्वारा ग्रेड "ए" प्रत्यायित)

आवश्यक सूचनायें

(समस्त पाठ्यक्रमों में सहशिक्षा उपलब्ध है)

1. वर्ष 2016, 2017, 2018 में इण्टरमीडिएट/स्नातक या समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम अंक–प्राप्त अभ्यर्थी ही आवेदन करें :

स्नातक स्तर (प्रवेश मेरिट के आधार पर)

बी0ए0(प्रथम वर्ष), बी0एस0सी0(प्रथम वर्ष), बी0काम0(प्रथम वर्ष), बी0काम0(आनर्स)–(प्रथम वर्ष)

(क)	सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	33 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)	40 प्रतिशत

बी.बी.ए. (आई.बी.) : (प्रवेश – प्रवेश परीक्षा के आधार पर):–

(क)	सामान्य वर्ग	50 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	45 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)	50 प्रतिशत

परास्नातक स्तर स्नातक स्तर (प्रवेश मेरिट के आधार पर):–

एम0 ए0 (हिन्दी / अग्रेजी / समाजशास्त्र / अर्थशास्त्र)
एम0 कॉम0 (व्यावहारिक अर्थशास्त्र /प्योर कामर्स)
एम0 एस0 सी0 (भौतिक शास्त्र / रसायन शास्त्र / वनस्पति शास्त्र)

(क)	सामान्य वर्ग	45 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	40 प्रतिशत
(ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)	45 प्रतिशत

2. संलग्नक :–

स्नातक कक्षाओं के लिये केवल हाईस्कूल के प्रमाण–पत्र, इण्टरमीडिएट की अंक तालिका तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण– पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। इनके अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रपत्रों की मूल तथा छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा :–

(I) हाईस्कूल की अंकतालिका,
(ii) हाईस्कूल का प्रमाण पत्र,
(iii) इण्टरमीडिएट/स्नातक की अंकतालिका,
(iv) आरक्षण (Reservation) सम्बन्धी कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्र
(v) भारण (Weightage) सम्बन्धी प्रमाण पत्र (उत्कृष्ट खिलाड़ी/एन.सी.सी'B' / 'C' प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों के लिए),
(vi) चरित्र प्रमाण पत्र,
(vii) आवेदन पत्र खरीदने की मूल रसीद।
(viii) आधार कार्ड की छायाप्रति ।

सामान्य सूचना

विज्ञान, वाणिज्य तथा कला संकायों में स्नातक और परास्नातक स्तर के निम्नलिखित पाठ्यक्रम तथा स्थान उपलब्ध है। अतः प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार वरीयता क्रम के विषय समूह आवेदन पत्र में अंकित करें। पाठ्यक्रम शासनादेशानुसार परिवर्तनीय होगा।

विज्ञान संकाय स्नातक स्तर

क्रम. सं.	ग्रुप	उपलब्ध स्थान	विषय समूह
1.	ZBC	जन्तु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र	300
2.	ZBG	जन्तु शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र	20
3.	ZGA	जन्तु शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, मानव शास्त्र	10
4.	PCM	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित	330
5.	PMG	भौतिक शास्त्र, गणित, भूगर्भ शास्त्र	30
6.	PMCS	भौतिक शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर साइंस	60

वाणिज्य संकाय(स्नातक स्तर) उपलब्ध स्थान 880(सामान्य) 200(स्वावित्तपोषित)
बी0 काम0 (आनर्स) उपलब्ध स्थान 60(स्वावित्तपोषित)

(क) 1. एकाउन्टिंग
2. बिजनेस आर्गनाइजेशन

(ख) 3. आफिस आर्गनाइजेशन एण्ड मैनेजमेन्ट
4. एसेंशियल्स आफ मैनेजमेन्ट

(ग) 5. माइक्रो इकोनामिक्स
6. करेंसी, बैंकिंग एण्ड एक्सचेंज

नोट : 1: Intermediate Bio/Agriculture के छात्रों का प्रवेश B.Com. में नहीं हो सकता।

2: इण्टरमीडिएट में गणित या अर्थशास्त्र विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश बी.काम में हो सकता है।
3: इण्टरमीडिएट में व्यवसायिक विषयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक प्रवेश के लिये अर्ह नही होगें यदि सम्बधिंत छात्र/छात्रा ने इण्टर परीक्षा लेखांकन/अर्थशास्त्र विषय लेकर उत्तीर्ण नही की है तो वे प्रवेश हेतु अर्ह नही होगें

कला संकाय उपलब्ध स्थान 880(सामान्य), 200(स्ववित्तपोषित)

महाविद्यालय में कला संकाय में उपलब्ध विषयों मे बी0ए0 प्रथम वर्ष के लिये अभ्यर्थी को कला के तीन विषयों का चयन करना है। चयन हेतु साहित्य विषय ग्रुप ए , ग्रुप बी0 और ग्रुप सी0 में से अधिकतम दो विषयों का चयन किया जा सकता है अन्य शेष विषयों के चयन हेतु प्रत्येक ग्रुप से केवल एक ही विषय का चयन करना है।

ग्रुप 'ए'– हिन्दी ग्रुप 'बी'– अग्रेंजी ग्रुप 'सी'– संस्कृत (साहित्य)
ग्रुप 'डी'– प्राचीन भारतीय इतिहास/इतिहास/अरबकल्चर/गणित
ग्रुप 'इ'– शिक्षाशास्त्र
ग्रुप 'एफ'– अर्थशास्त्र
ग्रुप 'जी'– शारीरिक शिक्षा
ग्रुप 'एच'– राजनीति शास्त्र
ग्रुप 'आई'– समाज शास्त्र/मानवशास्त्र

नोट (1) : उपरोक्त विषयों में से केवल तीन विषयों का चयन करना है। अतः वरीयताक्रम से उपरांकित में से तीन–तीन विषयों के दो विकल्प दें। विषयों का आवंटन योग्यताक्रमानुसार चयनित विकल्पों में से किया जाएगा, किन्तु शर्त यह है किः

(क) इतिहास, अरब कल्चर, प्राचीन भारतीय इतिहास एवम गणित विषयों में से कोई एक विषय ही लिया जा सकता है।

(ख) दो से अधिक साहित्य (विषय के रूप में) लेने की अनुमति नहीं है।

(ग) समाजशास्त्र एवम मानवशास्त्र में केवल एक ही विषय का चयन किया जा सकता ळे

नोट (2) : (क) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 12, सम्मेलन मार्ग इलाहाबाद तथा नदवा कालेज, लखनऊ से० +2 स्तर की परीक्षा (अंग्रेजी विषय के साथ) उत्तीर्ण छात्र भी प्रवेश हेतु अर्ह है।

(ख) कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ल.वि.वि. / प्रवेश / एफ–32 सं. 5545–604 दिनांक 8–2–07 के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की मध्यमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मानते हुये मध्यमा उत्तीर्ण (अंग्रेजी विषय के साथ) छात्रों को बी.ए. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश की मान्यता प्रदान की गई है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त अन्य डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कोई मान्यता प्रदान नहीं की गयी है।

(ग) गणित विषय लेने के लिए इण्टरमीडिएट में गणित होना आवश्यक है।

(घ) अध्यापक एवं अन्य सुविधाओं के अनुपात में ही छात्रों को विषय आवंटित किया जा सकेगा।

परास्नातक स्तर

एम0ए0–

एम.ए. (हिन्दी)	उपलब्ध स्थान – 60
एम.ए. (अग्रेजी)	उपलब्ध स्थान – 50
एम.ए. (समाजशास्त्र)	उपलब्ध स्थान – 50
एम.ए. (अर्थशास़्त्र)	उपलब्ध स्थान – 50

एम0काम0–

एम.काम. (कॉमर्स)	उपलब्ध स्थान – 60
एम.काम. (एप्लाइड इकोनोमिक्स)	उपलब्ध स्थान – 60

एम0 एस0 सी0–

एम0 एस0 सी0 (भौतिक शास्त्र)	उपलब्ध स्थान – 30
एम0 एस0 सी0 (रसायन शास्त्र)	उपलब्ध स्थान – 30
एम0 एस0 सी0 (वनस्पति शास्त्र)	उपलब्ध स्थान – 30

आरक्षण तथा भारण

अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी को शासनादेश/विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आरक्षण तथा भारण अनुमन्य है। विवरण इस प्रकार हैः

अभ्यर्थी वर्ग | आरक्षित स्थान | सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा

<u>VERTICAL RESERVATION</u>

1.	अनुसूचित जाति	21%	जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी या परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार
2.	अनुसूचित जनजाति	02%	तदैव
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)	27%	तदैव
HORIZONTAL RESERVATION			
4.	स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पौत्र	05%	तदैव
5.	विकलांग	03%	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
6.	जय नारायण महाविद्यालय तथा जय नारायण इन्टर कालेज के शिक्षकों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय तथा उसके	05%	कुल सचिव/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष
	सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री		
7.	एन.सी.सी.बी/सी प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी	2.5% (कुल प्राप्तांक का)	एन.सी.सी. 'बी'/'सी' प्रमाणपत्र
8.	उत्कृष्ट खिलाड़ी	2.5% (कुल प्राप्तांक का)	
9.	उ.प्र. में सेवारत वर्तमान/भूतपूर्व सैनिक	05%	

नोट – केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स कोटे का लाभ मिलेगा :–

(i) जिनके पास राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर खेलने का प्रमाण पत्र हो।

(ii) जिनके पास खेल–निदेशालय का प्रमाण पत्र हो।

(iii) सभी खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कालेज क्रीड़ा समिति के संयोजक से कराया जा सकता है।

(iv) **दूसरे राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) के अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थी की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाएगा।**

(v) अभ्यर्थी उपरोक्त भारण एवं आरक्षण श्रेणियों में से केवल एक ही श्रेणी का लाभ ले सकता है। क्रम संख्या 4 से 9 तक के आरक्षण का लाभ स्थान की उपलब्धता के आधार पर सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर प्रवेश समिति द्वारा दिया जायेगा।

(vi) उपरोक्त भारण एवं आरक्षण का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी से प्राप्त (हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त) प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। भारण एवं आरक्षण का प्रमाण–पत्र, आवेदन पत्र के साथ ही स्वीकार किया जायेगा। बाद में तत्सम्बन्धी प्रमाणपत्र नहीं स्वीकार किया जायेगा।

(vii) शासन के नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर रिक्त स्थान उपरोक्त क्रमवार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

चेतावनी : (i) महाविद्यालय का यह अधिकार सुरक्षित है कि :

(अ) बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे।

(ब) किसी भी स्थिति में प्रवेश नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर दे।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं अथवा अनुचित साधनों के आधार पर अथवा त्रुटिवश प्रवेश पाता है तो जिस समय भी ये तथ्य उद्घाटित होंगे, यह उसका दुष्कृत्य माना जायेगा एवं उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही शून्य माना जायेगा और उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

बी.पी.एड.(B.P.Ed.)

बी.पी.एड. पाठ्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष की है जो एन.सी.टी.ई. द्वारा परिवर्तनीय हो सकती है। इस विद्यालय को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार लखनऊ विश्वविद्यालय एवं एन.सी.टी.ई. से बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में 50 सीटों की स्वीकृति प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक शुल्क लखनऊ विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित होगी। जिसमें रू0 7000 किट की लागत सम्मिलित है। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातकों को छोड़कर बाहरी विश्वविद्यालय के स्नातकों को अतिरिक्त इनरोलमेन्ट शुल्क देय होगा। शैक्षिक यात्रा का व्यय भार छात्रों को स्वयं वहन करना होगा।

बी.पी.एड. में प्रवेश के लिये अर्हतायें

एन.सी.टी.ई. के संशोधित मानक के अनुसार बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने की अर्हतायें निम्न हैं–

- 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक। अथवा
- एक प्रमुख विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री। अथवा
- 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा एक प्रमुख विषय के रूप में पचास प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा से युक्त स्नातक डिग्री। अथवा
- 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा एक प्रमुख विषय के रूप में 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा से युक्त डिग्री तथा ए.आई.यू. अथवा आई.ओ.ए. द्वारा मान्य खेलकूदों में राष्ट्रीय/अखिल भारतीय अंतर्विश्वविद्यालय/अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता। अथवा
- प्रतिनियुक्ति पर (सेवारत उम्मीदवार अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापक कोच) 45 प्रतिशत अंको सहित और कम से कम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव सहित स्नातक।
- अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण तथा अर्हक अंकों में ढील का प्रावधान केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।
- अभ्यर्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)

नोट –

- सत्र 2016–2017 के प्रवेश की अर्हताएँ/मानक तथा प्रवेश शुल्क एन.सी.टी.ई./लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बदले जाने पर परिवर्तनीय हैं।
- यदि प्रवेश के बाद भी उपरोक्त में कोई तथ्य/बात असत्य पायी गई तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए 180 दिन प्रयोगात्मक एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य है।उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा से स्वतः वंचित हो जायेगा।

बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण

बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में 50 स्थान स्वीकृत है, जिसमें शासन के नियमानुसार निम्नवत् स्थान आरक्षित है :

1. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 21%
2. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 2%
3. अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 27%
4. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों में से मेरिट के आधार पर एक स्थान।
5. श्री जयनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अध्यापक/कर्मचारियों के पुत्रों में से मेरिट के आधार पर दो स्थान।

नोट – अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी से ही आरक्षण लाभ अनुमन्य होगा।
आरक्षण/भारणसम्बन्धी नियम निर्देशिका के पृष्ठ 9 पर वर्णित है। यदि उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित रूप से कोई स्थान रिक्त होताहै तो वरीयता क्रम से नियमानुसार मेरिट के आधार पर ही सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से उक्त स्थान भरा जायेगा।

B.P.Ed. हेतु प्रवेश परीक्षा

प्रवेश हेतु निम्नलिखित तीन प्रकार की परीक्षा होगी। इनमें से प्रत्येक परीक्षा में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। कुल 100 अंक होंगे जिनका विभाजन निम्नवत् है :–

1.	लिखित परीक्षा	30 अंक

क्रीड़ा जगत एवं सामान्य विषयों से सम्बन्धित लिखित परीक्षा, जिसकी अवधि घण्टा होगी तथा जिसमें सभी प्रकार की औपचारिकतायें सम्मिलित होंगी।

2.	शारीरिक क्षमता परीक्षा	50 अंक
1.	100 मीटर दौड़	10 अंक
2.	सिट्–अप्स	10 अंक
3.	स्टैण्डिंग ब्रॉड जम्प/चिन अप्स	10 अंक
4.	800 मीटर दौड	10 अंक
5.	शट्ल रन	10 अंक
3.	साक्षात्कार	5 अंक
4.	खेल उपलब्धि	

क्रीड़ा सम्बन्धी विशिष्ट उपलब्धियों के लिये अधिकतम 15 अंक हैं जिनमें निम्नवत् अंक लाभ अनुमन्य है :

1.	अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता	15 अंक
2.	राष्ट्रीय/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में–	
	प्रथम स्थान	14 अंक
	द्वितीय स्थान	13 अंक
	तृतीय स्थान	12 अंक
	प्रतिनिधित्व	10 अंक
3.	जूनियर राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय जोनल प्रतियोगिता में	
	प्रथम स्थान	9 अंक
	द्वितीय स्थान	8 अंक
	तृतीय स्थान	7 अंक
4.	जूनियर/अन्तर विश्वविद्यालय जोनल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व	6 अंक
5.	एन.सी.सी. प्रमाण पत्र धारक केवल परीक्षा हेतु अर्ह है।	
6.	अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता –	
	प्रथम स्थान	3 अंक
	द्वितीय स्थान	2 अंक
	तृतीय स्थान	1 अंक

नोट : प्रमाणपत्र का भारांक (weightage) तभी प्राप्त होगा जब उस खेल के Skill Test में उत्तीर्ण होंगे अन्यथा प्रमाण पत्र के आधार पर weightage देय नहीं होगा।

आवश्यक निर्देश

1. महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा नहीं है। प्रवेश मिलने पर छात्र को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
2. महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में सहशिक्षा की व्यवस्था है। अतः सभी कक्षाओं में छात्र एवं छात्राएं दोनो प्रवेश ले सकते हैं।
3. नियमानुसार छात्र/छात्राओं की अपनी कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्र/छात्राओं की कक्षा में इससे कम उपस्थिति होगी वे विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अर्ह नहीं होंगे।
4. अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
5. अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा एवं अनुचित साधन (U.F.M.) में का प्रयोग करते पकड़े गये छात्र/छात्रा का पुनः प्रवेश नियमित छात्र के रूप नहीं होगा।
6. जो अभ्यर्थी कहीं नौकरी में होंगे उन्हें नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. उत्तर प्रदेश शासन/निदेशालय/ल.वि.वि. द्वारा सत्र के मध्य में यदि शुल्क में संशोधन किया जाता है तो छात्र को संशोधित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
8. महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से निर्धारित यूनीफार्म में महाविद्यालय आना होगा।

   गर्मियों के लिए लड़कों को लिए यूनिफार्म – सफेद कमीज एवं ग्रे पैन्ट।
   लड़कियों के लिए यूनिफार्म – ग्रे कुर्ता, सफेद सलवार एवं सफेद दुपट्टा।
   सर्दियों के लिए उपरोक्त के साथ ब्लू ब्लेजर/ब्लू स्वेटर।
9. महाविद्यालय परिसर में आपके पास महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए। परिचय पत्र हस्तान्तरणीय नहीं है। महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जा सकेंगी।
10. परिसर में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपको महाविद्यालय के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. परिसर में या अध्ययन कक्ष में धूम्रपान, पान मसाला/तम्बाकू खाना वर्जित है। परिसर या कक्ष को गन्दा करना दण्डनीय है। धूम्रपान, पान मसाला/तम्बाकू खाते हुये पाये जाने पर (500/–)दो सौ रूपये आर्थिक दण्ड भी देना होगा।
12. परिसर में वैध/अवैध शस्त्र लाना वर्जित है।
13. महाविद्यालय की सम्पत्ति को तोड़ना या नष्ट करना एक गम्भीर अपराध है। इसके लिये सम्बन्धित छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
14. परिसर के अन्दर साइकिल या अन्य वाहन लाना वर्जित है। अपने वाहन को महाविद्यालय के साइकिल स्टैण्ड के अन्दर ही खड़ा करें।
15. परिचय पत्र एवं फीस रसीद खो जाने की स्थिति में 100रू0 शुल्क कैशियर आफिस में जमा कर, पुनः दूसरा परिचय पत्र अथवा फीस रसीद प्राप्त कर सकेंगे।
16. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर आगामी कक्षा में फीस जमा कर प्रवेश लेना अनिवार्य है। अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट :–

1. शुल्क लखनऊ विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गमित नियमों के अनुसार प्रभावी होगा और स्नातक/परास्नातक कक्षाओं हेतु निर्धारित शुल्क प्रवेश के समय यदि परिवर्तित किया जाएगा तो उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी।
2. अन्य विश्वविद्यालयों से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को नामांकन शुल्क रु. 1000/–अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

Add-on Courses

(छात्रोपयोगी–रोजगार परक विभिन्न शैक्षिक योजनायें)

1- Add-on Certificate Course in Computer Application
2- Add-on Certificate Course in Computerised Accounting
3- Add-on Certificate Course in Sales & Marketing Management
4- Add-on Certificate Course in Communication Skills & Personality Development
5- Add-on Certificate Course in Foreign Language-French and German
6-Add-on Certificate Course in Advanced Mathematics
7-Add-on Certificate Course in Basic Electronic and Electrical Circuit
8-Add-on Certificate Course in GST

नोट–चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बंधी फीस जमा करने के बाद निर्धारित दिनांक पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी अन्यथा उसका चयन महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गई फीस किसी भी दशा में वापस नही होगी। फीस जमा करने मात्र से आपका प्रवेश सुनिश्चित नही माना जायेगा।

चेतावनी

रैगिंग एक अपराध है। इसमें लिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Ragging is an offence and strict disciplinary action will be taken against the students found indulged in this act.

महाविद्यालय की निर्देशिका महाविद्यालय की वेबसाइट www.jnpg.org.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित शुल्क रु. 650/- में जमा कर उसकी मूल रसीद प्रवेश के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

<u>महत्वपूर्ण तिथियां</u>

1. **आनलाइन आवेदन की तिथिः**

(B.A./B.Sc./B.Com./BBA-IB/B.Com. (Hons))	: 10 मार्च 2018 से 20 जून 2018
(LL.B.-3 Years/ M.Sc./M.Com./ M.A./ B.P.Ed.)	: 10 मार्च 2018 से 30 जून 2018

2. **प्रवेश परीक्षा की तिथि(बी0बी0ए0–आई0बी0 के लिए):**

(अ) बी0बी0ए0–आई0बी0 (लिखित परीक्षा)	: 22 जून 2018 प्रातः 09:00 से 10:00 बजे
(ब) बी0बी0ए0–आई0बी0 (GDPI)	: 22 जून 2018 प्रातः 10:30 से 12:30 बजे

प्रवेश परीक्षा की तिथि (बी0पी0एड0 के लिए):

(अ) बी0पी0एड0(शारीरिक दक्षता)	: 02 जुलाई 2018 प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे
(ब) बी0पी0एड0 (लिखित परीक्षा)	: 02 जुलाई 2018 प्रातः 09:00 से 10:00 बजे

3. **प्रवेश परीक्षा परिणामः**

(अ) बी0पी0एड0	: 02 जुलाई, 2018 सांय 05:00 बजे
(ब) बी0बी0ए0–आई0बी0	: 25 जून 2018 सांय 05:00 बजे

4. **चयनित अभ्यर्थियों की सूचीः**

बी0काम0 प्रथम वर्ष	: 25 जून, 2018
बी0ए0 प्रथम वर्ष	: 25 जून, 2018
बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष	: 25 जून, 2018
बी0काम0 प्रथम वर्ष (आनर्स)	: 25 जून, 2018
एम0ए0 / एम0काम0 / एम0एस0सी0	: 02 जुलाई, 2018
एल0एल0बी0 (3 years)	: 03 जुलाई, 2018

5. **प्रवेश अवधि :**

बी0काम0 प्रथम वर्ष	: 02 जुलाई, 2018 से 07 जुलाई, 2018
बी0ए0 प्रथम वर्ष	: 02 जुलाई, 2018 से 07 जुलाई, 2018
बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष	: 02 जुलाई, 2018 से 07 जुलाई, 2018
बी0काम0 प्रथम वर्ष (आनर्स)	: 02 जुलाई, 2018 से 07 जुलाई, 2018
बी0बी0ए0–आई0बी0	: 02 जुलाई, 2018 से 07 जुलाई, 2018
बी0पी0एड0	: 04 जुलाई, 2018 से 09 जुलाई, 2018
एम0ए0 / एम0काम0 / एम0एस0सी0	: 04 जुलाई, 2018 से 09 जुलाई, 2018
एल0एल0बी0 (3 years)	: 04 जुलाई, 2018 से 09 जुलाई, 2018

नोटः प्रवेश की प्रथम सूची विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए दी गयी प्रवेश अवधि के एक दिन पूर्व घोषित की जायेगी। अन्य सूचियों के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड देखें।